BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 18 जनवरी 2025

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर हत्या करने के 02 आरोपियों को आजीवन कारावास व 35,000-35,000/- हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयीः-

अवगत कराना है कि अभियुक्त अमित पुत्र अमरपाल निवासी ग्राम बरारी थाना औरंगाबाद जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2020 में अपने साथी 2-विकास बंसल पुत्र स्व बालकिशन बंसल निवासी आदर्श नगर थाना बल्लभगढ जनपद फरीदाबाद हरियाणा के साथ मिलकर अपनी पत्नी की हत्या करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में दिनांक 04.02.2020 को थाना औरंगाबाद पर मुअसं- 40/20 धारा 302,120बी,201 भादवि पंजीकृत किया गया तथा आरोप पत्र दिनांक 30.04.2020 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन"के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें 09 गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 18.01.2025 को न्यायाधीश श्री शिवानन्द (मा0 न्यायालय एफटीसी-03 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त अमित व विकास बंसल को आजीवन कारावास व 35,000-35,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री ध्रुव कुमार वर्मा व श्री भूपेन्द्र राजपूत का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता हैं।

मीडिया सेल बुलन्दशहर